प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 142/2023 दिनांक – 07/06/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – ..... धाराये – .....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 126 समय – 4:35 pm

ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 3.05.2023 समय – 12.40 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 3.05.2023 समय – 11.45 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 6 किलोमीटर लगभग

(ब) पता:– उप कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर जोधपुर (दक्षिण)

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री अनिल, (ब) पिता/पति का नाम – श्री सुमेरसिंह

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 26 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – व्यापार (र) पता – ग्राम नारवा तहसील खिंवसर जिला नागोर हाल मकान न. 74 आदेश्वर नगर बी आर बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री स्नेह आशीष पुत्र स्व.श्री अमृतलाल उम्र 35 वर्ष पेशा नौकरी निवासी उदय मन्दिर हरिजन बस्ती जोधपुर हाल तामील कुन्दा (अतिक्रमण प्रभारी) नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– –

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरों
एसयू, जोधपुर

विषय – श्री आशिष अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, को रिश्वत लेते रगें हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि मैं अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल जोधपुर स्वीट् पाल रोड़ जोधपुर का रहने वाला हूं। मेरे एक मिठाई की दुकान जोधपुर स्वीट्स के नाम से पुलिस थाना चौपासनी के सामने पाल रोड़ आयी हुई है। जिसका कारखाना केशवनगर अशोक उधान के सामने किराये के मकान में चल रहा है। नगर निगम जोधपुर से श्री आशिश अतिक्रमण अधिकारी मय जाब्ते के आकर मेरे गौदाम को सीज करने की धमकी दी व कहा कि आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हो अगर व्यवसायिक गतिविधि करनी है तो 1.50 लाख रूपये रिश्वत के लाकर दे दो तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे अन्यथा पुरा जोधपुर मेरे अडर में है। तुम्हारे गोदाम को सीज कर दूंगा व तुम्हे लाखो रूपये का नुकसान हो जायेगा।

श्रीमान मेरे द्वारा बहुत बार निवेदन करने के बावजूद भी वह 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग पर अड़ा रहा व धमकी देकर गया है कि एक दिन में पैसे की व्यवस्था नहीं करी तो समान उठाकर ले जायेंगे व गौदाम सीज कर देंगे। श्रीमान मैं मेरे व्यवसायिक गतिविधि मेरे परिसर में कर रहा हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी श्री आशिशजी मुझे रिश्वत के लिए परेशान कर रहे है व रिश्वत नहीं देने पर मेरे धंधा बंद करने की धमकी दे रहे है। मैं श्री आशिश जी नगर निगम अधिकारी द्वारा मांगी जा रही 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री आशिशजी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई लेन–देन बकाया है।

भवदीय
एसडी
(अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह)
उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील
खीवसर जिला नागौर हाल जोधपुर
मोबाईल न.–9001953000

कार्यवाही पुलिस

– दिनांक 03.05.2023 समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल मकान न. 74 आदेश्वर नगर बी. आर. बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर, ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त टाईपसुदा रिपोर्ट पेश की। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण एक भ्रष्ट प्रवृती का अधिकारी है, जो बगैर रिश्वत लिए कोई काम नही करते है। तथा बहुत ही शातिर प्रवृती के है परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, यथा संशोधित 2018 का पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

Sd अनिल

Sd दुर्गसिंह राजपुरोहित
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
एसीबी (एसयू) जोधपुर
03.05.2023

परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल मकान नम्बर 74 आदेश्वर नगर बी आर बिडला स्कुल के सामने जोधपुर ने दिनांक 03.05.2023 को भ्र.नि.ब्यूरो चौकी एसयू जोधपुर पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि "मैं अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल जोधपुर स्वीट् पाल रोड़ जोधपुर का रहने वाला हूं। मेरे एक मिठाई की दुकान जोधपुर स्वीट्स के नाम से पुलिस थाना चौपासनी के सामने पाल रोड़ आयी हुई है। जिसका कारखाना केशवनगर अशोक उधान के सामने किराये के मकान में चल रहा है। नगर निगम जोधपुर से श्री आशीष अतिक्रमण प्रभारी मय जाब्ते के आकर मेरे गोदाम को सीज करने की धमकी दी व कहा कि आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हो अगर व्यवसायिक गतिविधि करनी है तो 1.50 लाख रूपये रिश्वत के लाकर दे दो तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे अन्यथा पुरा जोधपुर मेरे अडर में है। तुम्हारे गोदाम को सीज कर दूंगा व तुम्हे लाखो रूपये का नुकसान हो जायेगा। श्रीमान मेरे द्वारा बहुत बार निवेदन करने के बावजूद भी वह 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग पर अडा रहा व धमकी देकर गया है कि एक दिन में पैसे की व्यवस्था नहीं करी तो समान उठाकर ले जायेंगे व गोदाम सीज कर देंगे। श्रीमान मैं मेरे व्यवसायिक गतिविधि मेरे परिसर में कर रहा हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी श्री आशिष जी मुझे रिश्वत के लिए परेशान कर रहे है व रिश्वत नहीं देने पर मेरे धंधा बंद करने की धमकी दे रहे है। मैं श्री आशिष जी नगर निगम अधिकारी द्वारा मांगी जा रही 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं।" वगैरा रिपोर्ट दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, यथा संशोधित 2018 का पाया जाने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री रामचन्द्रसिह कानि. व परिवादी श्री अनिल का आपस में परिचय करवाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री अनिल को डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई इसके बाद श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त 12.15 पी.एम. पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामचन्द्रसिह कानि को सुपुर्द कर श्री रामचन्द्रसिह कानि. को हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री अनिल को सुपुर्द कर परिवादी श्री अनिल व संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवादी अनिल के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से उप कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर जोधपुर दक्षिण के लिये रवाना किया। उसी रोज वक्त 01.40 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 मय परिवादी श्री अनिल के कार्यालय में उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। तथा परिवादी श्री अनिल ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मैं व श्री रामचन्द्रसिह कानि. मेरी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उप कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर जोधपुर दक्षिण के पास पहुचे जहा पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु उप कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर जोधपुर दक्षिण की तरफ रवाना किया। जिस पर मै उप कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर जोधपुर दक्षिण के अन्दर पहुचा जहा पर श्री आशीष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण अपने कार्यालय में उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता मैने मेरे मिठाई कारखाने को सीज नही करने एवं श्री आशिष चांवरीया द्वारा मागी गई रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर श्री आशिष चांवरीया ने कहा कि "पैसे फेको तथा मैने जो कहा वही लास्ट लगेगे तथा तय की गई राशि शीघ्र करो इसका भी सिस्टम होता है मेरे द्वारा राशि कम करने बाबत ज्यादा विनती करने पर उनके द्वारा पहले 10– 15 हजार रूपये कम करने हेतु सहमत हुआ तत्पश्चात मेरे द्वारा 50–60 हजार रूपये कम करने का कहने पर श्री आशिष चांवरीया तय की गई रिश्वति राशि का 50 प्रतिशत 75,000/रूपये लेने हेतु सहमत होने की वार्तालाप हुई। उक्त

वार्तालाप डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। एवं तय की गई रिश्वति राशि लेकर आज ही आने हेतु कहा है। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी श्री अनिल व संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशो को सुना तो परिवादी द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यो की ताईद होकर संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष चांवरीया द्वारा परिवादी अनिल से उसके मिठाई के कारखाने को सीज नही करने की एवज में 75,000/रूपये रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वायस रिकोर्डर को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित हालात में रखा गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिल से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 75,000/रूपये के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मै घर जाकर राशि की व्यवस्था करके लेकर आ जाउगा जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रिश्वति राशि की व्यवस्था करके तुरन्त पुनः ब्यूरो कार्यालय आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्काम जोधपुर के नाम कार्यालय पत्रांक 606 दिनांक 03.05.2023 जारी कर जरिये दुरभाष दो गवाहान की तलबी की गई। वक्त 02.30 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अनिल रिश्वत में दी जाने वाली राशि 75,000/रूपये की व्यवस्था करके ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने से अग्रीम कार्यवाही करने हेतु मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलाकर परिवादी श्री अनिल से मेरा व श्री अनिल का आपसी परिचय करवा कर परिवादी की रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेजात एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित हालात में रखा हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल व संदिग्ध अधिकारी श्री आशीष चांवरिया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड हैं को मुझे सुपुर्द कर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् निरीक्षक मय परिवादी अनिल के अपने कार्यालय कक्ष में आकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुपुर्द की गई परिवादी श्री अनिल की मूल रिपोर्ट मय दस्तावेजात का अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पुछताछ की तो परिवादी अनिल ने बताया कि श्री आशीष चांवरीया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 75,000/रूपये साथ लेकर आया हूँ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अनिल व संदिग्ध अधिकारी श्री आशीष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, जिसको चालू कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशो को सुना गया तो परिवादी द्वारा रिश्वति राशि मांग के क्रम में हुई वार्ता के संबंध में बताये तथ्यो की ताईद होकर संदिग्ध अधिकारी श्री आशीष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी द्वारा परिवादी से उनका मिठाई का कारखाना सीज नही करने की एवज में 75,000/रूपये रिश्वति राशि मांगने की पुष्टी हुई। डिजिटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात में रखा गया। वक्त 02.50 पी.एम. पर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्काम जोधपुर से तलबीशुदा स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में तलब कर परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री रामदीन पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम मल्लार तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल तकनीकी सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जेविविएनएल जोधपुर मोबाईल नम्बर 9461478857 .व दूसरे ने अपना नाम श्री सुशील पुत्र श्री कानाराम जाति देवासी उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम साथीन तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल तकनीकी सहायक द्वितीय, अभियन्ता ए–3 जेविविएनएल जोधपुर मोबाईल नम्बर 9414118169 .होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री अनिल से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोंडेड है, चला कर वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशो को दोनो गवाहान को सुनाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की तथा परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के दिनांकित हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 03.10 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू

परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल मकान नम्बर 74 आदेश्वर नगर बी आर बिडला स्कूल के सामने जोधपुर को आरोपी श्री आशीष चांवरिया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री अनिल ने भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 26 नोट एवं 500–500 रूपये के 46 नोट कुल राशि 75,000/– रूपये पेश किये। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9BA 774660
2-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2AM 146470
3-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2GM 685613
4-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4EQ 205762
5-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2MH 214791
6-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5CB 780117
7-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5KH 346176
8-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2HL 830951
9-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3DQ 813663
10-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7CV 007387
11-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7AA 830479
12-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7CH 681022
13-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3DU 822869
14-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1EG 751898
15-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0NB 509335
16-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3KT 794884
17-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5AU 066647
18-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3MC 468913
19-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4FU 097900
20-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1GR 764663
21-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2KL 804497
22-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6GK 593995
23-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3DD 548892
24-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4DU 572874
25-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3BK 134272
26-	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1MK 460792
27-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5EK 337450
28-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7CH 689403
29-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2NV 987869
30-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3BH 147576
31-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2BU 896865
32-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8GT 951378
33-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1EM 119812
34-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3DW 300798
35-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0EW 730749
36-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5TW 702871
37-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7EA 337962
38-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3TE 583249
39-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4FC 543151

40-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1DH 587443
41-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7SB 088567
42-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CM 386620
43-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8PV 598819
44-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8TF 230401
45-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6TE 252246
46-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1GM 485009
47-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6DS 449597
48-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8FN 796104
49-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9GT 532523
50-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9RA 350115
51-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1LG 143419
52-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3NW 465427
53-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8PS 697556
54-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5DW 684090
55-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0PW 693958
56-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0BB 041559
57-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1BW 938506
58-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5QD 808627
59-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9VQ 638558
60-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9GW 335748
61-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1TP 723252
62-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6MG 722843
63-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8BE 042320
64-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7AH 316314
65-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7NG 955122
66-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6LA 345176
67-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5KD 030339
68-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8EL 684009
69-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1CA 095830
70-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5MG 767420
71-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5GT 611887
72-	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6LA 788845

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 75,000/– रूपये के नोटों को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अनिल की जामा तलाशी गवाह श्री सुशील से लिवाई जाकर उसका मोबाईल फोन नं. 9001953000 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि 75,000/– रूपये जो श्री आशीष चांवरिया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण को दी जानी है, के नोटों को परिवादी श्री अनिल के पहनी हुई जिन्स की आगे की दाहिनी जेब में भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 26 नोट एवं 500–500 रूपये के 46 नोट कुल राशि 75,000/– रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर

देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नं. 9414169480 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने का गोपनीय इशारा करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। सभी उपस्थितान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री अनिल को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये। इसके बाद वक्त 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल व श्री रामचन्द्रसिह कानि को परिवादी की मोटरसाईकिल से नगर निगम जोधपुर दक्षिण की तरफ रवाना कर उनके पिछे–पिछे मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र श्री रामदीन व श्री सुशील हमराहा ब्यूरो जाब्ता श्री अयुबखान सहायक उप निरीक्षक, श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. न. 265 श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 जरिये सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8906 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह मय निजी कार के मय ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर वक्त 04.15 पी.एम. पर कार्यालय नगर निगम बलदेव नगर दक्षिण के पास पहुचे जहां पर वाहनो व मोटरसाइकिल को रोड किनारे एक तरफ खडे करवा कर परिवादी श्री अनिल से आरोपी श्री आशीष चांवरिया की उपस्थिति के बारे में गोपनीय रूप से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि श्री आशीष चांवरिया अपने कार्यालय मे उपस्थित नही है तथा एक–डेढ घन्टे बाद कार्यालय मे उपस्थित आने की सम्भावना है जिस पर परिवादी को आरोपी के कार्यालय के नजदीक खड़ा कर आरोपी के अपने कार्यालय में उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस को सुचित करने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के नगर निगम कार्यालय से कुछ दुरी पर जाकर एकान्त में गोपनीय रूप से उपस्थित रहकर संदिग्ध अधिकारी के आने का इंतजार किया। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अनिल से पुनः आरोपी श्री आशीष चांवरीया की उपस्थिति के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि श्री आशीष चांवरीया अपने कार्यालय में उपस्थित नही आया है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही उस रोज सम्भंव नही होने पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के जरिये वाहनो के ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना होकर वक्त 06.20 पी.एम. पर ब्युरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर उपस्थित आया। परिवादी श्री अनिल के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में रखवायी गयी रिश्वत राशि के 75,000/–रूपये गवाह श्री सुशील से निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखवा कर रिश्वति राशि का लिफाफा, डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं

परिवादी की शिकायत की पत्रावली मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी। ताबाद परिवादी श्री अनिल को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर निर्देशित किया गया की जब भी संदिग्ध कर्मचारी पुनः सम्पर्क करे तो तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस या कानि रामचन्द्रसिह को जरिये फोन सुचित करे एवं बुलाने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित आवे। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री अनिल को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 12.05.2023 को वक्त 10.50 .ए.एम. पर इस समय परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री सुमेरसिह उम्र 26 वर्ष निवासी गांव नारवा तहसील खीवसर जिला नागौर हाल मकान नम्बर 74 आदेश्वर नगर बी आर बिडला स्कुल के सामने जोधपुर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि मेरे द्वारा श्री आशिष चांवरिया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने की शिकायत ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ब्यूरो द्वारा श्री आशिष चांवरिया के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तत्पश्चात आरोपी श्री आशिष चांवरिया के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया मगर आशिष चांवरिया को ब्यूरो द्वारा उनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण रिश्वति राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका। मेरे से आज दिन तक आरोपी आशीष चांवरिया द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया। तथा श्री आशीष चावरिया को ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब रिश्वत राशि का आदान प्रदान नहीं हो सकता एवं न ही अग्रीम कार्यवाही की जाना सम्भव है। अतः मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गयी राशि 75000/–रूपये लौटाने की कृपा करावे। जिस पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पृष्ठांकन कर मुझे आवश्यक निर्देशो के साथ सुपूर्द की। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अनिल को अपने साथ अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया एवं परिवादी श्री अनिल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक पूछताछ करने पर परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित उपरोक्त तथ्य ही बताते हुए उनके द्वारा पेश की गयी राशि 75000/– रूपये लौटाने का निवेदन किया गया। जिस पर जरिये फोन दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रामदीन तकनीकी सहायक द्वितीय एवं सुशील तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 डिस्कॉम जोधपुर की तलबी की गयी। वक्त 11.20 ए.एम. पर तलबीशुदा गवाहान श्री रामदीन तकनिकी सहायक द्वितीय एवं सुशील तकनिकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 डिस्कॉम जोधपुर उपस्थित आये जिन्हे परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कराकर श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण को उनके विरूद्व की जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने एवं अग्रीम कार्यवाही सम्भव नहीं होने बाबत् अवगत कराया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो गवाहान से हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री रामदीन जाट व श्री सुशील देवासी की उपस्थिति में दिनांक 03.05.2023 को परिवादी श्री अनिल एवं आरोपी श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश कुमार कानि. नं 219 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री अनिल ने अपनी व श्री आशिष चांवरीया अतिक्रमण प्रभारी की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 03.00 पी एम.पर परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट के सन्दर्भ में परिवादी द्वारा पेश की गई ट्रेप राशि 75,000 रूपये जो सफेद लिफाफे में मेरी अभिरक्षा में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालात में रखी हुई है उस लिफाफे को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अलमारी से निकालकर लिफाफे से 75,000 रूपये परिवादी श्री अनिल को गिनवाकर सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

आरोपी स्नेह आशीष का पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें आशीष अंकित किया गया। मगर अब उनका सेवा विवरण प्राप्त करने पर सही एवं पूर्ण नाम **स्नेह आशीष** होना ज्ञात होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में सही एवं पूर्ण नाम **स्नेह आशीष** अंकित किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही एंव वक्त रिश्वतं राशि मांग सत्यापन दिनांक 03.05.2023 को आरोपी श्री श्री स्नेह आशीष तामील कुन्दा (अतिक्रमण प्रभारी) नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा परिवादी श्री अनिल से उनका मिठाई का कारखाना सीज नही करने एंवज में मांगी गई रिश्वति राशि का 50 प्रतिशत अर्थात 75,000/– रूपये बतौर रिश्वत मांग कर आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा सशोंधन 2018 कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री स्नेह आशीष पुत्र स्व.श्री अमृतलाल जाति वाल्मिकी उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी उदय मन्दिर हरिजन् बस्ती जोधपुर हाल तामील कुन्दा (अतिक्रमण प्रभारी) नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के विरूद्व जुर्म उपरोक्त मे प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन बाबत प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल युनिट जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण 1988(यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री स्नेह आशीष, तामील कुन्दा (अतिक्रमण प्रभारी) नगर निगम जोधपुर(दक्षिण), जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 142/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1072-75 दिनांक 07.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

7.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।